

संख्या: १८३८/३३-३-२०१५-०३/२०१५

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अध्यक्ष, समस्त जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ०प्र०
4. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ०प्र०।

मुलाई

पंचायतीराज अनुमान-३

लखनऊ दिनांक: ३१ चूट, 2015

दिवयः पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न ब्रोडों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-१६३९/३३-३-२०१५-०३/२०१५, दिनांक-१९.०६.२०१५ मार्ग दर्शक सिद्धान्तों को निर्णत किया गया है। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि पूर्व में दिवाना द्वारा पंचायतों के माध्यम से कराये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश शासनादेश संख्या-८६६/३३-२-१४-९३जी/ २०१४ टी०सी० दिनांक २४ जून, २०१४ एवं शासनादेश संख्या-८३०७/३३-२-२००४-९३जी/२००४, दिनांक-१२.०१.२००५ निर्णत किये गये थे।

२- उल्लेखनीय है कि "प्रदेश की जिला पंचायतों एवं अन्य पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। प्रायः यह देखने से आता है कि जिला पंचायतों द्वारा बहुत छोटे-छोटे निर्माण कार्य ग्राम सभा के अन्दर अथवा मजरे को जोड़ने के लिए किये जाते हैं, जबकि ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों को भी भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अनुदान प्रश्नगत कार्यों को कराये जाने हेतु प्राप्त होते हैं, जिससे दुफ्लीकेसी की सम्मावनाएँ बनी रहती हैं। इस संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि तीनों स्तर की पंचायतें सर्वीडियरिटी के सिद्धान्त के आधार पर कार्यों का चयन करें अर्थात् जो कार्य नीचे स्तर पर पंचायत द्वारा बहुत तरीके से किया जा सकता है, वह उसी स्तर पर कराया जाय और उपर के स्तर पर वह कार्य न कराया जाय।"

विभाग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि से पंचायतों द्वारा विकास कार्य सम्यादित, किये जाय, जो पंचायतीराज अधिनियम-१९४७ व क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत, अधिनियम-१९६१ के प्राविधानों के अनुरूप हों। अतः त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये जाते हैं:-

1. ग्राम पंचायत को जो धनराशि/अनुदान निर्माण कार्यों के लिए दी जाती है, उससे उसी ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य सम्पन्न कराये जाय।
 2. क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मर्दों से प्राप्त होती है, उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जाय।
 3. जिला पंचायतों प्राप्त विभिन्न अनुदानों से एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को सम्पादित करायेंगी।
 4. ग्राम पंचायतों में परिसम्पत्तियों के रख-रखाव को प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता है। उक्त प्रयोजन हेतु प्रतिवर्ष संक्रमण की न्यूनतम् 50 प्रतिशत धनराशि को ग्राम पंचायतों की पूर्व में सृजित परिसम्पत्तियों के समुचित रखरखाव के लिए उपयोग में लाया जायेगा। परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित अभिलेखों को प्रतिवर्ष अध्यावधिक किया जायेगा। अन्तरण की धनराशि से पंचायतों अपनी परिसम्पत्तियों यथा—पंचायत भवनों, स्कूल भवनों, अन्य सामुदायिक भवनों, सार्वजनिक मार्गों, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य सार्वजनिक परिसम्पत्तियों का रखरखाव करने में सहानुभाव होगी। शेष 50 प्रतिशत धनराशि से नये कार्य कराये जा सकेंगे। ग्राम पंचायतों द्वारा बिना सक्षम अनुमोदन के कोई कार्य नहीं कराया जायेगा। नये निर्माण कार्यों में रु10सौ0 रोड/खड़गाड़ा/ नाली/पुलिया निर्माण तथा अन्य नागरिक सुविधाओं पर प्राथमिकता दी जायेगी। आवंटित धनराशि की कार्ययोजना का अनुमोदन निम्नानुसार कराया जायेगा—
- (क) रु0 50,000 तक की कार्ययोजना का अनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। कार्ययोजना को टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जायेगा।
- (ख) रु0 50,001 से रु0 250000 तक की कार्ययोजना का अनुमोदन सहायक विकास अधिकारी(प०) द्वारा किया जायेगा।
- (ग) रु0 250001 से रु0 500000 तक कार्ययोजना का अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- (घ) रु0 500001 से ऊपर की कार्ययोजना का अनुमोदन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। परन्तु प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी(प०) कार्यालय में अवश्य रखी जायेगी, जिसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी(प०) की होगी।
5. बिन्दु—४ के उप बिन्दु ग एवं घ से सम्बन्धित प्रावक्ळन का तकनीकी परीक्षण अभियन्ता, जिला पंचायत द्वारा किया जायेगा।
 6. क्षेत्र पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि का 50 प्रतिशत तक व्यय यथावश्यकता, क्षेत्र पंचायतों को स्वयं की एवं उन्हें हस्तान्तरित सम्पत्तियों यथास्थिति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पशुचिकित्सालय कृषि रक्षा केन्द्र, बीज विपणन गोदाम आदि की मरम्मत और रखरखाव पर अवश्य किया जाय। शेष 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में हुए विकास कार्यों/सृजित सम्पत्तियों के रखरखाव तथा इसी प्रकार के नये निर्माण कार्यों पर किया जायेगा। क्षेत्र पंचायतों द्वारा कंसरवे जाने वाले कार्यों को क्षेत्र पंचायत की दैठक में पारित होने के पश्चात कराये जाने वाले कार्य का प्रावक्ळन का अनुमोदन एवं

-3-

कार्ययोजना का अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

7. जिला पंचायतों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वे आवंटित घनराशि से कराये जाने वाले कार्यों में ₹0 10.00 लाख की लागत से अधिक की परियोजनायें ही अधिकांश रूप में अपनी कार्य योजना में सम्मिलित करेंगी।

अतः अनुरोध है कि कृपया त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में लिये गये निर्णय तथा निर्धारित किये गये क्षेत्राधिकार का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निदेशक, पंचायती राज (लेखा), इन्डिरा भवन, उ०प्र०, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोषक, उ०प्र०, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलीय उप निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ०प्र०।
7. समस्त सहायक विकास अधिकारी(प०), उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(रस०प०१० सिंह)
उप सचिव।

संख्या-२७७६/३३-३-२०१५-०३/२०१५

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी

प्रभुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

१- समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।

२- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।

पंचायतीराज अनुभाग-३ लखनऊ दिनांक: ०९ अक्टूबर, २०१५

विषय: चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की धनराशि से आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं
निर्मित बाल मैत्रिक शौचालयों के रख-रखाव के संबंध में।

नहोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत करना है कि पूर्व के वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में काफी सख्त्या से आंगनबाड़ी केन्द्र एवं बाल मैत्रिक शौचालयों का निर्माण कराया गया है। उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं बाल मैत्रिक शौचालयों के रख-रखाव हेतु कोई वित्तीय व्यवस्था नहीं होने के कारण निर्मित केन्द्रों एवं बाल मैत्रिक शौचालयों की स्थिति जीर्ण-शीर्ण हो गयी है, परिणाम स्वरूप उसकी वार्तविक उपयोगिता सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। उक्त हेतु शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी गयी धनराशि से उनके अनुरक्षण की व्यवस्था किया जाय।

उप निदेशक (पं०) ३३०६

लेख
निदेशक
प्राप्ति

२- पंचायतीराज अनुभाग-३ के शासनादेश संख्या: १६३९ / ३३-३-२०१५-०३ / २०१५ दिनांक १९ जून, २०१५ एवं शासनादेश संख्या: १८३८ / ३३-३-२०१५-०३ / २०१५ दिनांक ३१ जुलाई, २०१५ के पैरा-४ में यह व्यवस्था की गयी है कि "ग्राम पंचायतों में परिसम्पत्तियों के रख-रखाव हेतु प्रतिवर्ष संक्रमण की न्यूनतम ५० प्रतिशत धनराशि को ग्राम पंचायतों की पूर्व में सृजित परिसम्पत्तियों के समुचित रख-रखाव के लिए उपयोग में लाया जायेगा। परिसम्पत्तियों से संबंधित अभिलेखों को प्रतिवर्ष अधावधिक किया जायेगा तथा अन्तरण की धनराशि से पंचायतें अपनी परिसम्पत्तियों यथा-पंचायत भवनों, स्कूल भवनों, अन्य सामुदायिक भवनों, सार्वजनिक मार्गों, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के रख-रखाव करने में सक्षम होंगी। शेष ५० प्रतिशत धनराशि से नये कार्य कराये जा सकेंगे।"

(एस० ए० सिंह)
उपनिदेशक, प्राप्ति।/govind Pandey
पंचायती राज, उ०प्र०

3— अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत याम पंचायत स्तर पर उपलब्ध धनराशि से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व के वर्षों में निर्भित आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं निर्भित बाल मैत्रिक शौचालयों का मरम्मत कराना सुनिश्चित कराया जाए तथा नये निर्भित कराये जाने वाले आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण पंचायत अंश चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत याम पंचायत स्तर पर उपलब्ध धनराशि से दिया जा सकता है।

मवदीय

(चंचल कुमार तिवारी)

प्रमुख सचिव,

संख्या: 5/ / 1/2015 तदनिंक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आदेशक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. स्टाफ अफिसर, मुख्य सचिव उ०प्र० शासन।
2. स्टाफ अफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त उ०प्र० शासन।
3. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
4. निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उ०प्र०।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं०), उ०प्र०।
7. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ०प्र०।

आज्ञा से

(एस०पी० सिंह)

उप सचिव,